



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11**लखनऊ : दिनांक 04-10-2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यों के सापेक्ष धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-24906/CE-HQ1/RV(MDOD)/MBD/2026-27, दिनांक 25-09-2026, पत्र संख्या-24774/CE-HQ1/RV(MDOD)/KNP/2026-27, दिनांक 22-09-2026, पत्र संख्या-24899/CE-HQ1/RV(MDOD)/VNS/2026-27, दिनांक 25-09-2026, पत्र संख्या-24775/CE-HQ1/RV(MDOD)/VNS/ 2026-27, दिनांक 22-09-2026, पत्र संख्या-24783/CE-HQ1/RV(MDOD)/BAS/2026-27, दिनांक 22-09-2026, पत्र संख्या-24934/CE-HQ1/RV(MDOD)/LKO/2026-27, दिनांक 25-09-2026, पत्र संख्या-24772/CE-HQ1/RV (MDOD)/PRJ/2026-27, दिनांक 22-09-2026, एवं पत्र संख्या-24742/CE-HQ1/RV(MDOD)/VNS/ 2026-27, दिनांक 14-09-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य/प्रमुख, अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 10 चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 5634.18 लाख (रूपये छप्पन करोड़ चौंतीस लाख अठारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/प्राविधिक/अनुरक्षण/अनुरक्षण उपरान्त कार्य की लागत/ बचत/बचत उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	प्रस्तावित आवंटन		
					अनु० सं०-58	अनु० सं०-83	योग
1	बस्ती, प्रा०ख०	गोटवा चिलमा ऊंजी वाया उमरिया मार्ग(0.000 से 10.000) का (अ०जि०मा०) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	2205.72 2205.72 50.04 2155.68 32.45 2123.23	25.45	393.95	106.05	500.00
2	चन्दौली प्रा०ख०	जनपद चन्दौली में नई बाजार अहिकौरा रमरजाई मार्ग(अ०जि०मा०) (लम्बाई 8.000 किमी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	1102.56 1102.56 25.94 1076.62 0.08 1076.54	530.77	343.15	92.37	435.52

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	चन्दौली प्रा0ख0	जनपद चन्दौली में पड़ाव-मुगलसराय-पचफेड़वा मार्ग का शेष भाग(गंजी प्रसाद तिराहे से पचफेड़वा) मार्ग के चैनेज 0.000 से चैनेज 3.650 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य(लम्बाई 3.650 किमी0)	4532.34 4532.34 88.54 4443.80 16.46 4427.34	825.00	787.90	212.10	1000.00
4	प्रतापगढ नि0ख0-1	रायबरेली वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से धारूपुर लालगंज मार्ग तक वाया सराय जानमती रामपुर पावर हाउस पूरे शिया वैश्य करनराय पूरे जोधा मन्ना का पुरवा कोटिला असरही(सराय नरायन सिंह) अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 12.150 किमी0)	1868.38 1868.38 0.00 1868.38 460.94 1407.44	1334.59	57.40	15.45	72.85
5	फतेहपुर प्रा0ख0	जनपद फतेहपुर में खागा नौबस्ता मार्ग के चै0 0.000 से 11.000 तक (लम्बाई 11.00 किमी0) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	2870.60 2784.97 68.05 2716.92 16.37 2700.55	363.85	393.95	106.05	500.00
6	वाराणसी प्रा0ख0	जनपद वाराणसी में चोलापुर बाजार में चोलापुर बाईपास से विकास खण्ड के अन्त तक मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से 4.000 तक 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य(लम्बाई 4.00 किमी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	7575.39 7575.39 102.40 7472.99 2.67 7470.32	2851.38	590.92	159.08	750.00
7	कानपुर देहात प्रा0ख0	जनपद कानपुर देहात में पश्चिम इलाहाबाद शाखा नहर सेवा मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 39.00 से चैनेज 60.00 तक (लम्बाई 21.00 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	4958.70 4951.36 114.65 4836.71 2.16 4834.55	2401.09	1181.85	318.15	1500.00
8	रामपुर नि0ख0	जनपद रामपुर में रामपुर बड़ाखास सिमरा हरदुआ हरदासपुर नवदिया भैंसोडी (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 6.600 से चैनेज 14.700 तक (लम्बाई 8.100 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	1081.72 1081.72 22.36 1059.36 216.64 842.72	730.78	37.65	10.14	47.79
9	चन्दौली प्रा0ख0,	जनपद चन्दौली में सकलडीहा कमालपुर अमड़ा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)का सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 26.125 किमी0)	4096.13 4096.13 0.00 4096.13 15.78 4080.35	3876.33	22.08	5.94	28.02
10	हरदोई प्रा0ख0	जनपद हरदोई में कोथावां माल मार्ग(अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य(लम्बाई 32.400 किमी0)।	6487.69 6352.37 133.85 6218.52 0.00 6218.52	1997.53	630.32	169.68	800.00
				4439.17	1195.01	5634.18	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) उपरोक्त तालिका के क्रमांक-1,2,3,5,6,7,8 व 10 में अंकित कार्यो हेतु धनराशि इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जा रही है कि प्रश्नगत कार्यो हेतु अगली/अनुवर्ती किश्त की धनराशि की मांग इन कार्यो के मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक आदेशो मे उल्लिखित वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17-05-2023 में निहित व्यवस्था सम्बन्धी शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जाय।

(3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, 30प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त कार्य केवल अनुमोदित/पुनरीक्षित सीमा तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार ही सम्पन्न किया जाय। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी कार्यान्वयन इकाई की होगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) ₹0 44,39,17,000 (रुपये चौच्चालिस करोड़ उन्तालिस लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371323 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) ₹0 11,95,01,000 (₹0 ग्यारह करोड़ पच्चान्नबे लाख एक हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891300 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।